न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

नानगा ..... बनाम ..... गीता .....

मुकदमा ..... T.I ..... मु. नं० ..... 21 ..... वर्ष ..... 2011 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 19/3/20 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने बहस स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/5/20 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश अधि उभयपक्ष हाजिर। बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। बहसमुताबिक आवेदन व जवाब आवेदन रहे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मौके वाद कथन से हटना किसी विधिवत बटवारा किये हुए विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो सकते है तथा वाद बहुलता के बढ़ने की संभावना है अतः बटवारा वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत उभयपक्ष के पाबन्द किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष के चरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 409, 410, 411, 414, 415, 416, 417 कुल क्षेत्र 2.09 हैक्टर वाले ग्राम सकराय परगना हल्का श्यामगढ़ तहसील व जिला सीकर की यथास्थिति मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली के सम्बन्ध अनुसार होकर नम्बर से कम है, काबिल दफ्तर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर